# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2233/2023

जगदीश प्रसाद (कर्मचारी आई.डी.– आरजेकेए199826011156)

–अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 29.08.2023
**आदेश की दिनांक** : 04.09.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रीभान गुर्जर, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 02.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन कर रिजर्व पुलिस लाईन जयपुर ग्रामीण किया गया। इस आदेश दिनांक 02.08.2023 को इस अपील में चुनौती दी गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में अपना मुख्यालय रिवर्ज पुलिस लाईन, जयपुर ग्रामीण में किये जाने का निवेदन कियाा था, किन्तु अपीलार्थी को बाद में ज्ञात हुआ कि ऐसा किये जाने में अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। ऐसे में अपीलार्थी ने अपना मुख्यालय, जयपुर ग्रामीण से परिवर्तित कर जिला दौसा किये जाने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)